लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल –462023
दूरभाष 0755–2583650 फैक्स 0755–2583651
ई–मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.3/एफ/273/2011/2069 भोपाल,दिनांक 11/11/11
प्रति,

1. महाधिवक्ता,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ।
2. अतिरिक्त महाधिवक्ता,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर /इंदौर ।

विषयः–शालेय शिक्षकों की अधिवार्षिकी आयु के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों की अधिवार्षिकी आयु के संदर्भ में प्रायः यह देखा जा रहा है,कि म.प्र.शासन द्वारा जो संशोधन म.प्र.शासन अधिवार्षिकीय आयु 1967 में किया गया है वह स्कूली शिक्षकों पर लागू नहीं होने के बावजूद भी इसका लाभ लेने हेतु कई प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में दायर किये जा रहें हैं तथा माननीय न्यायालय द्वारा कई प्रकरणों में अभ्यावेदन निराकरण करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं । प्रकरण के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः–

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त संशोधन के द्वारा म.प्र.शासकीय सेवक अधिवार्षिकी आयु अधिनियम,1967 की धारा–2 के उपनियम (1–क) के स्थान पर यह उपनियम स्थापित किया गया है कि "(1–क) उपनियम(2) के अध्यधीन रहते हुये उपनियम (1–छ),(1–ज) एवं (1–झ) में उल्लेखित शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक,उस मास के, जिसमें की वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपरान्ह में,सेवानिवृत्त हो जायेगा" ।

उक्तानुसार संशोधन में उल्लेखित अनुसार उपनियम (1–छ) के अंतर्गत शासकीय शिक्षक का अभिप्राय मध्यप्रदेश शिक्षण सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम,1990 के अनुसार महाविद्यालयीन शिक्षकों,उपनियम (1–ज) के अंतर्गत शासकीय शिक्षक से अभिप्रायः मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा अभियांत्रिकी महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भर्ती) नियम, 2004 के अनुसार तकनीकी शिक्षकों एवं उपनियम (1–झ) के अंतर्गत शासकीय शिक्षक का अभिप्रायः मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पोलीटेक्नीक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भर्ती) नियम,2004 के अंतर्गत पोलीटेक्नीक शिक्षकों से है ।

इस प्रकार मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम 1967 की धारा–2 के उप नियम (1–क) स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिये यथावत प्रभावशील है जिसके अंतर्गत 62 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु यथावत मान्य है दिनांक 8 मई 2011 द्वारा किया गया अधिवार्षिकी आयु में यह संशोधन स्कूल शिक्षा विभाग के

Suchana a.k.

शासकीय शिक्षकों के संबंध में नहीं है। अतः यह स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय सेवकों के लिये लागू नहीं होगा और इस प्रकार 62 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु शालेय शिक्षकों के लिये मान्य नहीं है। शालेय शिक्षक 62 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर यथावत सेवानिवृत्त होगे ।

कृपया उपरोक्त तथ्यों से सभी शासकीय अधिवक्ताओं को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे इस प्रकार के प्रकरणों में शासन के पक्ष का दृढ़तापूर्वक प्रतिरक्षण किया जा सके ।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / स्था.3 / एफ / 273 / 2011 / 2070 भोपाल,दिनांक 11/11/11

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश ।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग विधि प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी जिला मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

Suchana a.k.